Golden Research Thoughts
International Recognition Multidisciplinary Research Journal
ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 3.4052(UIF) Volume - 5 | Issue - 8 | Feb - 2016

ग्रामीण विकास के आवश्यक तत्त्व : एक अध्ययन

डॉ. माधव कुमार
बी० कॉम०, एम० कॉम०, पी–एच० डी०
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

सामान्यतया विकासशील अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्थायें होती हैं जबकि विकसित अर्थव्यवस्थायें शहरी क्षेत्र प्रधान होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर भारत की 84.4 करोड़ जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग (63.9 करोड़ जनसंख्या) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा कुल श्रमशक्ति (1990) का 78 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। देश में 36.99 करोड़ श्रमशक्ति उपलब्ध है जिसमें से 28. 55 करोड़ श्रमशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत, निर्यात आय का 24 प्रतिशत, करों से सरकारी आय का 46 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रो से प्राप्त होता है अतः स्पट है कि भारत की तीन–चौथाई जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है इसलिए ग्रामीण विकास का पहले भारत के लिए विशेष महत्त्व रखता है।

ग्रामीण विकास में अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने से है। चूँकि तृतीय विश्व के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र प्रधान है और यहाँ की विशाल जनसंख्या सदियों से औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुई है अतः उनको औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति मिलने के बाद उनका प्रथम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, रिनक्षरता तथा रिक्त प्राकृतिक संसाधनों के लक्षाण मिलते हैं। इन समस्याओं को हल कर, ग्रामीण विकास करना होता है। अतः ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यद्यपि ग्रामीण विकास की अवधारणा में वैचारिक एवं सेद्धान्तिक मतभेद है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ग्रामीण विकास की अवधारणा स्पष्ट है, जिसमें ग्राम्य जीवन में सुधार लाने से है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों (वे क्षेत्र जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया समितियाँ आदि नहीं होती हैं और ये शहरी क्षेत्र से दूर होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है।) में रह रहे समस्त लोगों का समग्र विकास करना है।

महात्मा गाँधी का ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से ऊपर उठा कर ग्राम को एक स्वावलम्बी गणतंत्र बनाना है। अर्थात् ग्रामों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ उनकी रूढ़िवादिता, पक्षपात तथा संकीर्ण विचारधारा को समाप्त करके उन्हें स्वावलम्बी बनाना है।

''ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर, उन्हें आर्थिक विकास की धारा में प्रवाहित करना है, जिसके लिए इनकी मूल जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक उपरिव्यय सुविधायें उपलब्ध कराना होगा।''

ग्रामीण विकास का उद्देश्य :

ग्रामीण विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों पर आधारित है –

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग, दोनों की उत्पादकता के साथ–साथ कुल उत्पादन को बढ़ाना है।
- सभी के लिए लाभदायक रोजगार पैदा करना ग्रामीण विकास का प्रमुख उद्देश्य है।
- गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना।
- मिट्टी, पानी, हवा, जंगल जैसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए मानव एवं प्रकृति के मध्य पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखना।
- ग्रामीण लोगों का देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ाना।
- स्वार्थ रहित नेतृत्व को बढ़ाना।

ग्रामीण विकास के प्रमुख तत्त्व :

ग्रामीण विकास को निर्धारित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं –

- कृषि – कृषि विकास, मशीनरी विकास, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, विपणन व्यवस्था का विकास।
- ग्रामीण उद्योग – ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास, आधुनिकीकरण, तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता, विपणन आदि।
- शिक्षा – शिक्षा का प्रसार, तकनीकी शिक्षा, दस्तकारी क्षमता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना आदि।
- सेवाएँ – सेवाओं का विकास, स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवार कल्याण, कार्यशालाएँ, बैंक आदि।

इस प्रकार ग्रामीण विकास के प्रमुख घटकों में उपर्युक्त चार तत्त्व शामिल हैं। ये चारों घटक मिलकर ग्रामीण क्षेत्राों में इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं जिससे ग्रामीण विकास के उद्देश्य धीरे–धीरे प्राप्त होने लगते हैं और गाँव इन उत्प्रेरकों के कारण आत्मनिर्भर विकास की ओर अग्रसर होने लगता है।

''भारत गाँवों का देश है और इसकी आत्मा गाँवों में निवास करती है'' ये शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भारत के ग्रामीण विकास हेतु अपना कितना योगदान दिया है, यह उनके जीवन काल का सर्वेक्षण करने पर हमें हर कदम पर मिलता है। 6 मई, 1939 को उन्होंने वृंदावन में ग्राम सेवकों द्वारा आयोजित एक सभा को सम्बोधित करते हुये कहा था – ''यह देखकर मुझे बहुत दुःख होता है कि आप लोगों में से अधिकाँश या तो शहर से आये हैं या शहरी जीवन के अभयस्त हैं। जब तक आप अपना मन शहर से हटाकर गाँवों में नहीं लगायेंगे, तब तक गाँव के लोगों की सेवा आप नहीं कर सकते। आपको यह भी समझ लेना चाहिये कि हिन्दुस्तान गाँवों से बना है, शहरों से नहीं और जब तक आप ग्राम्य जीवन को और गाँवों के कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, तब तक आप उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमारे गाँवों में जीवन का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और ये मृतप्राय हैं। औद्योगीकरण उनमें प्राणों का संचार नहीं कर सकता है। अपनी झोंपड़ी में रहने वाले किसान को जीवन तभी मिलेगा जब उसे अपने घरेलू उद्योग फिर से वापस मिलेंगे तथा जब अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह गाँवों पर ही निभर्रर रहेगा, शहरों पर नहीं, जैसा कि आज उसे विवश होकर करना पड़ रहा है। इस आधारभूत सिद्धान्त को यदि आप आत्मसात नहीं करते तो

ग्राम पुनर्निर्माण के उस कार्य मे लगने वाला सारा समय व्यर्थ जायेगा।" इससे प्रतीत होता है कि गाँधीजी ग्रामीण जनों के उत्थान में आजीवन लगे रहे। उनका चरखा ग्रामीण विकास हेतु उनकी लगन को इंगित करता है। महात्मा गाँधी के पूर्व भी तथा इसके बाद भी ग्रामीण विकास हेतु प्रयास होते रहे हैं। मुगल काल से पूर्व, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, स्वतन्त्राता आन्दोलन के दौरान तथा आजादी के बाद भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास हेतु पृथक्–पृथक् दृष्किोणों से इस दिशा में पहल होती रही है।

बिहार में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। यह अपने अन्दर सम्पूर्ण ग्रामीण इतिहास को समेटे एवं सँजोये हुये है। भारत के गाँवों का अलग–अलग राजाओं ने, राजनीतिज्ञों एवं शासकों ने अपने–अपने विवेक, इच्छा एवं स्वार्थ से दोहन किया है। यहाँ की ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था एवं राज–व्यवस्था को अपने–अपने ढंग से तोड़ा–मरोड़ा है। कुछ राजा–महाराजाओं ने ग्रामीण विकास हेतु निःस्वार्थ प्रयास किये तथा कुछ अन्य ने अपनी–अपनी स्वार्थ सिद्धी हेतु इस ओर कुछ प्रयास किये थे, लेकिन स्वाधीनता के पहले ग्रामीण विकास की ओर शासक वर्ग का ध्यान अधिकांशतः अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति की पूर्ति हेतु ही गया था। ग्रामीण विकास हेतु वास्तविक प्रयास स्वाधीनता के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गये हैं।

बिहार में कृषि की स्थिति :

विगत दो दशकों में बिहार फसल उत्पादन पद्धति में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। राज्य में समर्थन में अभाव तथा कृषि विश्वविद्यालय की धीमी गति के बावजूद अब किसान स्वयं ही फसल संबंधी निर्णय ले रहे हैं और, सीमित परिधि में ही सही, अपनी खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। कृषि पदार्थों के मूल्य एवं आय की दृष्टि से गेहूं चावल से अधिक लाभकारी है। अतः राज्य में भी पिछले एक दशक में चावल की अपेक्षा गेहूं का अधिक उत्पादन किया जाने लगा। दलहन की खेती में भी वृद्धि हुई है। यह दलहन पदार्थों में लगातार मूल्यवृद्धि का परिणाम है।

पिछले 20 वर्षों में गेहूं की फसल का क्षेत्र लगभग दुगुना हो गया है जबकि धान की खेती वाले क्षेत्र मे सिर्फ सीमांत वृद्धि (1.6 प्रतिशत) हुई है। यह परिवर्तन मुख्यतः मोटी फसलों (ज्वार, बाजरा आदि) के क्षेत्र में गिरावट का परिणाम है। कुल खाद्यान्न उत्पादन का 78.1 प्रतिशत क्षेत्र पर धान एवं गेहूँ की फसलें बोई जाती है। हरित क्रांति के पूर्व बिहार में उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक थी और पुनः इसमें 1970 के बाद ह्रास की प्रवृति पैदा हुई है।

तालिका : 1

प्रमुख राज्यों में कृषि क्षेत्र उत्पादन एवं फसल उपलब्धि : तुलनात्मक आंकडे

विषय	बिहार	उ.प्र.	प0 बंगाल	पंजाब	हरियाणा
क्षेत्र (मिलियन हे0)	9.06	20.50	6.44	5.69	4.03
कुल क्षेत्र का प्रतिशत	7.30	16.5	5.20	4.60	3.20
कुल उत्पादन (मिलियन टन)	14.13	42.69	13.74	21.56	11.45
कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत	7.10	21.4	6.90	10.8	5.70
उत्पादन (कि0ग्रा0/ हे0)	1560	2083	21.33	3787	2843
कृषि भूमि पर सिंचाई व्यवस्था (प्रतिशत में)	46.2	64.1	25.1	95.9	76.7
प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग	80.60	108.39	103.24	158.43	130.95

स्रोत :– कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (2010)

तालिका : 2

जोत योग्य भूमि का औसत आकार

राज्य	1970–71	1990–91
राजस्थान	5.46	4.11
महाराष्ट्र	4.28	2.21
गुजरात	4.11	2.93
मध्य प्रदेश	4.00	2.63
हरियाणा	3.77	2.43
कर्नाटक	3.20	2.13
पंजाब	2.89	3.61
आन्ध्र प्रदेश	2.51	1.56
उड़ीसा	1.89	1.34
हिमाचल प्रदेश	1.53	1.20
असम	1.47	1.31
तमिलनाडु	1.45	1.93
बिहार	1.50	0.93
पं0 बंगाल	1.20	0.90
उत्तर प्रदेश	1.16	0.90
जम्मू कश्मीर	0.94	0.83
केरल	0.57	0.33
सर्वभारत	2.28	1.57

स्रोत :–**Indian Economy Datt and Sundram 2001, New Delhi**

बिहार में सिंचाई की स्थिति :

सिंचाई कृषि अधिसंरचना का महत्वपूर्ण अंग है। 1950–51 ई0 से 2009–10 ई0 के बिहार में सिंचाई 20.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40.7 लाख हेक्टेयर हो गयी। उपलब्ध सिंचाई सुविधा सर्वभारत का 5.5 प्रतिशत है। इसी अवधि में सकल सिंचाई क्षेत्र 10.94 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30.94 हेक्टेयर हो गया तथा शुद्ध सिंचाई क्षेत्र 2009–10 ई0 में 30.07 लाख हेक्टेयर हो गया था। धान की खेती के लिए 36.2 प्रतिशत भूमि, गेहूं की खेती में 83.8 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है। कुल खाद्य फसलों 41.9 प्रतिशत में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य में सिंचाई व्यवस्था (कनाल नेटवर्क) पंजाब से कम नहीं हैं परंतु जहां पंजाब में विभिन्न मौसम की जरूरत के मुताबिक जलाशय की अधिकता है वहीं बिहार में रिजर्वायर की जगह बैराज व्यवस्था अपनाई गई है जिससे सिर्फ जल उपलब्धि के समय ही वितरण प्रबंधन किया जा सकता है। इससे बिहार में रबी की उचित सिंचाई नहीं हो पाती है।

तालिका : 3
वृहत एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ

क्र.सं.	राज्य	सिंचाई की पूर्ण (000 हेक्टेयर में)	क्षमता की वास्तविक उपलब्धि, 2010	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	बिहार	6500	2776	42.70
2.	पंजाब	3000	2413	80.43
3.	पं0 बंगाल	2300	1296	55.17

स्रोत : कृषि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010

भू– गर्भ जल के विदोहन के लिए नलकूप का व्यापक प्रयोग होता है। इसका विस्तार एवं प्रयोग बिजली की उपलब्धि पर निर्भर करता हैं। जहाँ भारत मे 83 प्रतिशत गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है वहीं बिहार में सिर्फ 69.60 प्रतिशत गांवों का 2002 तक विद्युतीकरण हो पाया था। प्रति विद्युतीकृत गांवों में मात्र 5.55 प्रतिशत बिजली का कनेक्शन है जबकि सर्वभारत में यह 18.52 प्रतिशत है। विद्युतीकरण की निम्न स्थिति तथा विद्युत आपूर्ति में भारी कमी के कारण स्थापित सिंचाई क्षमता का पूरा प्रयोग संभव नहीं है।

जल प्रबंधन कृषि विकास का सूत्रधार है। यह अधिक सक्षम ढंग से उसी समय लागू किया जा सकता है जब किसानों की भागीदारी का स्तर उच्च सीमा पर हो। जल उपभोक्ता संघों की व्यवस्था के अभाव में जल आपूर्ति की बराबर अनदेखी होती रही है। आपूर्ति आधारित कार्यक्रम नौकरशाही की उदासीनता एवं भ्रष्टाचार की चपेट मे आ गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई दिशा देने की जरूरत है ताकि भूगर्भ जल का अधिक प्रयोग किया जा सके। इस कार्य के लिए सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना जरूरी है।

भारत सरकार ने 24 सितम्बर, 1990 को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नये अवसर जुटाने तथा गीब विद्यार्थियों को वजीफे के रूप में नई स्व–रोजगार योजना प्रारम्भ की गई, जिससे प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए गये तथा 70 हजार विद्यार्थियों के लिए वजीफों की व्यवस्था की गई।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भी पिछले योजनाओं के अधिकांश कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तेज करने तथा रोजगार कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित कई योजनाओं का पुनर्गठन करके उनहें प्रभावी बनाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास, ट्राइसेम, गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुआँ योजना, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार पूर्ति योजना) को मिला कर 1 अप्रैल, 1998 से 'स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना' प्रारम्भ की गई। जवाहर रोजगारयोजना को 'ग्राम समृद्धि योजना' में बदला गया तथा इसका विकास क्षेत्र बढाया गया। इन्दिरा आवास योजना की जगह 'समग्र आवास योजना' शुरू की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण मिशन, कृषि फसल बीमा योजना आदि प्रारम्भ की गई।

वाजपेयी सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायतों को 50,000 रूपये तक की लागत वाली योजना एवं कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया तथा वर्ष 1999 को 'ग्राम सभा वर्ष' घोषित किया गया।

नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में ग्रामीण विकास हेतु कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास तथा आय के स्तर को ऊँचा उठाने के कार्यक्रमों को लक्षित किया गया हैं । सीमान्त एवं खेतीहर मजदूरों को लाभ, गरीबी की समस्या के स्थायी एवं ठोस हल हेतु विकास कार्यक्रम बनाये गये ।

आधुनिकीकरण :

विकास कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से चलाये जाने के कारण आधुनिक तरीकों एवं तकनीकी का प्रयोग हर क्षेत्र में देखने को मिला है। कृषि उद्योग तथा अन्य कार्यक्रमों में आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल बढ़ा है। परम्परागत तथा रूढ़िवादी कृषि उत्पादन पद्धति के स्थान पर नई कृषि पद्धति को अपनाया गया है। अन्य उद्योग–धन्धों में भी नई तकनीकी का प्रयोग बढ़ा है। कुल मिलाकर आधुनिक तकनीकी के उपयोग से ग्रामीण विकास में तेजी आई हैं इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण किसानों, उद्यमियों तथा व्यावसायियों को प्रशिक्षण देकर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का विदोहन :

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न हो पाने से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं हो पाता है। ये संसाधन निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं अतः इनका विदोहन कर इन्हें देश के आर्थिक विकास में लगाने का कार्य करना आवश्यक हो जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग ग्रामीण विकास की दिशा में तेजी से हुए प्रयासों के फलस्वरूप ही हो पाया है। गाँवों में सड़कें, संचार साधन, बैंक, विपणन आदि सुविधाओं का विस्तार होने से प्राकृतिक स्रोतों का उचित मात्रा में विदोहन कर पाना संभव हुआ है। इससे ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का विस्तार :

पिछले पचास सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का विस्तारबढ़ा है फलस्वरूप साक्षरता भी बढ़ी है। ग्रामों में छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय प्रायः हर गाँव व उसके आस–पास उपलब्ध हैं। प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में भी प्रगति हुई है जिससे ग्रामीण इलाकों में व्याप्त अन्धविश्वास, रूढ़ियों आदि समस्याओं को दूर करने में सहायता मिली है। ग्रामीण विकास हेतु ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों एवं महिलाओं को तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण दिया जाता हैं इसके लिए गाँवों में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। आज की ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा साक्षरता के परिणामस्वरूप सक्रिय एवं व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा है।

ग्रामीण जनता की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी :

ग्रामीण विकास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हुआ है। इसके विस्तार से ग्रामीण लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी भागीदारी की जानकारी मिली है। चाहे यह भागीदारी उत्पादक वर्ग के रूप में हो, या फिर राजनीतिक रूप में हो। इससे आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी के साथ–साथ राजनीति के क्षेत्र में भी ग्रामीण नेतृत्व का क्षेत्र बढ़ा है। महिलाओं में भी नेतृत्व की भावना एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आभास होने लगा है। आज से पचास साल पहले महिलाओं का जो संकुचित एवं शर्मीला रूप देखने को मिलता रहा, उसकी आज तो कल्पना ही नहीं

की जा सकती है। आज महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए या फिर किसी भ्रष्टाचार व सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आती हैं। गोष्ठियों के माध्यम से महिला मंचों का निर्माण हुआ है अर्थात् आज के ग्रामीण युवक, युवती, प्रौढ़ एवं बचे सभी अपने देश के निर्माण में अपनी भागीदारी के महत्त्व को समझने लगे हैं। युवक को अपने मतदान के महत्त्व का भली–भाँति एहसास हो गया है। वह मत देने से पूर्व बड़ी चालाकी एवं होशियारी से सरकार की नीति की गुप्त समीक्षा करता है, उसके पश्चात् अपने मत का उपयोग करता है। भारतीय राजनीति के प्ररम्भिक दशकों में एक ही पार्टी की सरकार का वर्चस्व रहने का एक प्रमुख कारण ग्रामीण जनता द्वारा बिना सोचे समझे अपने मत को बहकावे में आकर देते रहना रहा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। यही कारण है कि पिछले दशक में एक पार्टी की सरकार बहुत दिनों तक कायम नहीं रह पायी है। इसके पीछे ग्रामीण जनता का हाथ रहा है, जिसने सरकार की गलत नीति का आकलन करके उसे सत्ता से बाहर कर दिया।

ग्रामीण विकास का चक्रीय प्रवाह :

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव से विकास का एक चक्रीय प्रवाह देखने को मिलता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत ग्रामों में रोजगारपरक उद्योगों की स्थपना की गई है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला है। उनकी निर्धनता में कमी तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इससे आय के पुनर्वितरण में सहायता मिली है अर्थात् आय की असमानता घटने की ओर प्रवृत्त हुई है। इसके फलस्वरूप संतुलित ग्रामीण विकास हो रहा है। कुल मिलाकर देश का आर्थिक विकास बढ़ा है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास हेतु अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का समग्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास हेतु संगठित एवं नियोजित कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में सम्भव हो पाया है। यद्यपि स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किए थे, लेकिन शासन की बागडोर अंग्रेजी सरकार के हाथों में रहने से इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् इन नेताओं ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज के रूप में ग्रामीण विकास हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिए। इसके बाद लगातार ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम तैयार किए गये। विगत पंचवर्षीय तथा अनेक वार्षिक योजनाओं के दौरान ग्रामण विकास के लिए अनेक कार्य किए गए जिनमें हमें काफी कुछ सफलता मिली। यह सही है कि योजना में निर्धारित व्यय का बहुत कम भाग वास्तविक लाभार्थी तक पहुँच पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रमीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन आया है। गाँवों में सिंचाई, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष रूप में यहाँ यह कहना उचित होगा कि अब आने वाले समय में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियाँ एवं सरकार भारत में ग्रामीण विकास पर अत्यधिक बल दे रही हैं। इसी संदर्भ में आने वाली पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जा रही हैं। ग्रामीण विकास की ओर उन्मुख सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास हेतु अर्थपूर्ण रोजगार उतपन्न करने एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है।

संदर्भ स्रोत :

1. अहलूवालिया, एम.एस.(1978) : रूरल पावर्टी एण्ड एग्रीकल्चरल परफोरमेन्स इन इंडिया, जरनल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, अप्रैल, 2001, पृ.28–30
2. ए. बैद्यनाथ (2001) : ''पॉवर्टी एण्ड डेवेलपमेंट पॉलिसी'', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली, मई–जून, 2001, पृ. 13–15
3. कुमार, बी. (1984) : प्लानिंग, पॉवर्टी एण्ड इकॉनोमिक डेवलेपमेंट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, पृ. 56–58
4. तथैव
5. कुरियन, सी.टी. (1978) : पावर्टी, प्लानिंग एण्ड सोशियल ट्रांसफॉरमेशन, ऐलाइड पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, पृ.35–38
6. तथैव
7. गुप्ता, एस.पी. (1987) : स्ट्रेक्चरल डाइमेन्शन्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 65–68
8. तथैव